(12)

अनुस्मारक पत्र / अतिमहत्वपूर्ण

पत्र सं0–जनसूचना / सामान्य मा0 वि0 एंव सांसद / (2020–21) / –20– / वाणिज्य कर

प्रेषक,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

(जनसूचना अनुभाग) दिनांक :: लखनऊ :: 16, जुलाई-2020

महोदय,

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या 4083 दिनॉक 04 दिसम्बर 2019, एवं शासन के पत्र संख्या 1850 / 11.03.2019, दिनॉक 21.11.2019 तथा शासनादेश संख्या 1225 / 90–सं0शि0प0का0 / 2019–01सं0शि0 / 2015 दिनॉक 05नवम्बर 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मा0 सांसदों एवं विधान मण्डल के मा0 सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर नियमानुसार समयान्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करने और कृत कार्यवाही की त्रैमासिक (दिनॉक01.07.2019 से दिनॉक 30.09.2019 तक) सूचना निर्धारित प्रारूप में तथा प्रत्येक जनपद हेतु नोडल अधिकारी की वॉछित सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः उपरोक्त के संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि उक्त पत्र दिये गये निर्देशानुसार वॉछित सूचना संकलित कर निर्धारित प्रारूप में भरकर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर तीन कार्यदिवस के भीतर डाक / ई–मेल(nodalofficer20@gmail.com) के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि वॉछित सूचना अबिलम्ब शासन को उपलब्ध करायी जा सके।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पी0 एन0 यादव)
ज्वाइंट कमिश्नर(जनसूचना) / नोडल अधिकारी
वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– ज्वाइंट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट के नोटिस बोर्ड पर डालने हेतु।

16/07/2020

ज्वाइंट कमिश्नर(जनसूचना) / नोडल अधिकारी
वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ।

530

20-7-20

संख्या–राज्य कर–1–498 / 11–2020

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग–1

लखनऊ::दिनांक:: 06 जुलाई, 2020

विषयः– मा0 सांसदों एवं विधानमण्डल के मा0 सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर नियमानुसार समयान्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करने तथा निरन्तर मॉनिटरिंग करने एवं इस हेतु नोडल अधिकारी नामित करने और कृत कार्यवाही की त्रैमासिक सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, राज्य कर अनुभाग–3 के पत्र संख्या–568 / 11–3–2020, दिनांक 26.06.2020 की छायाप्रति मय संलग्नकों सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अंकित कर 02 कार्यदिवस में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त सचिव।

1950/19-2-2019

तत्काल

संख्या–1225/90–सं0शि0प0का0/2019–01 सं0शि0/2015

प्रेषक,

जे0पी0 सिंह–II,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2–पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग   लखनऊ: दिनांक–05 नवम्बर, 2019

विषय– मा0 सांसदों एवं विधान मण्डल के मा0 सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर नियमानुसार समयान्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करने तथा निरन्तर मॉनीटरिंग करने एवं इस हेतु नोडल अधिकारी नामित करने और कृत कार्यवाही की त्रैमासिक सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–03/2018–469/90–सं0शि0प0का0–2018–01सं0 शि0/2015, दिनांक–24 अप्रैल, 2018 और उसके साथ संलग्न कर ऑनलाइन प्रेषित किये गये मुख्य सचिव महोदय की ओर से निर्गत शासनादेश संख्या– 1105/90–सं–1–2012–70सं/1984, दिनांक–28 सितम्बर, 2012 एवं शासनादेश संख्या–1117/90–सं–1–2015–70सं/1984, दिनांक 15 अक्टूबर, 2015, शासनादेश संख्या–2/2018/400/90–सं0शि0प0का0/18–01(सं0शि0)/2015, दिनांक–04 फरवरी, 2019 (जो "Shasanadesh.up.nic.in" पर भी उपलब्ध है) तथा शासनादेश संख्या–672/90–सं0शि0प0 का0–2019–01सं0शि0/2015, दिनांक 15 जुलाई, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 सांसदों एवं विधान–मण्डल के मा0 सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर प्रभावी कार्यवाही करने एवं इस हेतु नोडल अधिकारी नामित करने तथा प्रत्येक त्रैमास की कृत कार्यवाही की सूचना शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं, किन्तु अधिकतर विभागों/जनपदों व विभिन्न स्तरों से तृतीय त्रैमास (01 जुलाई, 2019 से 30 सितम्बर, 2019 तक) की वांछित सूचनाएं अभी तक अप्राप्त हैं।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त संदर्भित शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं नामित किये गये नोडल अधिकारी की अद्यतन स्थिति से शासन को अवगत कराने के साथ ही तृतीय त्रैमास (01 जुलाई, 2019 से 30 सितम्बर, 2019 तक) की वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर कृपया शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि यदि आपके विभाग/जनपद स्तर पर मा0 सांसदों एवं विधान मण्डल के मा0 सदस्यों से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में शून्य सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

VS (T)
VS (R)

28.11.19
(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव
कर, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग
उ0प्र0 शासन।

586/V.S.(T)/19
D.S. (IT)

भवदीय,

(जे0पी0 सिंह–II)
प्रमुख सचिव।

प्रारूप-2

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

मा0 सांसदों एवं विधान मण्डल के सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर की गयी कार्यवाही का विवरण –

त्रैमास–01.07.2018 से 30.09.2018

0	मा0सांसद / विधान मण्डल मण्डल सदस्यों का नाम	पत्र प्राप्त होने की तिथि	विषय	कृत कार्यवाही का विवरण	मा0 सदस्य को कृत कार्यवाही से अवगत कराने की तिथि	मा0 सदस्य को कृत कार्यवाही से न अवगत कराये जाने का कारण
				शून्य		